1	2	3	4	5
निदेशक :				
1.	श्री गुलशन राय	नागपुर	जयपुर	अनुकम्पा
2.	श्री एम०के० कुमार	पटना	कलकत्ता	—वही—
संयुक्त निदेशक				
1.	श्री पी० एस० बुर्डे	दिल्ली	नागपुर	अनुकम्पा
2.	श्री एम०के० भाटिया	मद्रास	कानपुर	—वही—
सहायक निदेशक				
1.	श्री अनिल कुमार	कोयम्बतूर	दिल्ली	अनुकम्पा
2.	श्री जे०के० बाखरू	बड़ोदरा	दिल्ली	—वही—
3.	श्री संजीव चतुर्वेदी	कानपुर	लखनऊ	प्रशासकीय
4.	श्री पंकज चौपड़ा	भोपाल	दिल्ली	अनुकम्पा
5.	श्रीमती वरीदना गोयल	दिल्ली	बड़ोदरा	—वही—
6.	श्री रमेश काबू	श्रीनगर	जम्मू	प्रशासकीय
7.	श्री आर० के० कैन	दिल्ली	अहमदाबाद	—वही—
8.	श्री आर०एस० किरण	कानपुर	दिल्ली	—वही—
9.	श्री मेघ राज	कानपुर	लखनऊ	—वही—
10.	श्री प्रेम कुमार	कानपुर	गाजियाबाद	अनुकम्पा
11.	कु० प्रीति सिन्हा	जयपुर	दिल्ली	प्रशासकीय

दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों की सप्लाई

394. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को सप्लाई किए जा रहे खाद्यान्नों की मात्रा बहुत कम है ;

(ख) दिल्ली में उपभोक्ताओं को प्रतिमाह गेहूं, चावल तथा चीनी की कितनी-कितनी मात्रा में सप्लाई की जा रही है; और

(ग) क्या सरकार खुले बाजार में खाद्यान्नों के ऊंचे भाव तथा निधन उपभोक्ताओं की कम क्रय शक्ति को देखते हुए मात्रा बढ़ाने का विचार कर रही है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमदमे) : (क) से (ग) खाद्यान्नों का आवंटन राज्यों की मांग, केन्द्रीय पूल में स्टाक की उपलब्धता, मौसमी कारणों तथा विभिन्न राज्यों की पारस्परिक आवश्यकताओं जैसी अनेक बातों को ध्यान में रखकर माह दर माह आधार पर किया जाता है। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को फरवरी, 1992 से गेहूं की 72,000 मी० टन और चावल की 20,000 मी० टन मात्रा प्रतिमाह आवंटित की जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवंटन अनुपूरक स्वरूप के होते हैं और इनका प्रयोजन राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों की समूची मांग को पूरा करना नहीं होता है। दिल्ली प्रशासन

द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार एक उपभोक्ता हर महीने प्रत्येक वयस्क खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) की 25 कि० ग्रा० मात्रा और बच्चे के मामले में 12.5 कि० ग्राम मात्रा के लिए हकदार है। हालांकि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को कुल आवंटन दिल्ली प्रशासन द्वारा निर्धारित मानदण्ड के आधार पर नहीं किया जाता, तथापि आवंटित मात्रा, खाद्यान्नों की बाजार में उपलब्ध मात्रा की अनुपूर्ति हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वास्तविक मांग को पूरा करने के लिए उचित समझी जाती है। चीनी की 800 ग्राम मात्रा प्रति व्यक्ति प्रति महीने दी जाती है और इसमें यह विचार नहीं किया जाता कि व्यक्ति बच्चा है या वयस्क है। दिल्ली प्रशासन ने अधिकारियों को ये निदेश दिए हैं कि वे झुग्गी-झोंपड़ी कालोनियों अथवा पुनर्वास कालोनियों में रहने वाले उपभोक्ताओं को कम से कम 8 कि०ग्रा० गेहू प्रति व्यक्ति प्रति महीने उपलब्ध करायें। आवंटन करते समय दिल्ली सहित सभी राज्यों की वास्तविक आवश्यकताओं पर हमेशा विचार किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निगम मूल्य बाजार मूल्यों से कम होते हैं तथा केन्द्रीय सरकार उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्यों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए राजसहायता के रूप में बहुत बड़ी राशि का भार वहन करती है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया जाना

395. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :
श्री रणजीत सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आगामी वर्षों में और सक्षम व प्रभावी बनाने के लिए इसमें सुधार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या सुधारात्मक कदम उठाने के बारे में निश्चय किया गया है तथा इन्हें कब तक प्रवृत्त किये जाने की संभावना है; और

(ग) इन सुधारात्मक कदमों के कार्यान्वयन के लिए कुल कितना धन व्यय किए जाने की योजना है और क्या इन सुधारात्मक कदमों के अंतर्गत उपभोक्ताओं को अधिक मात्रा में खाद्यान्नों की आपूर्ति करना भी शामिल है; यदि यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत तथा सुप्रवाही बनाने का कार्य एक निरन्तर चलते रहने वाली प्रक्रिया है और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों आदि को इसके कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी परामर्शदात्री परिषद् की बैठकों और केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच अन्य बैठकों में विचार -विमर्श किया जाता है। सरकार ने ग्रामीण/भीतरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक इस प्रणाली की पहुंच में सुधार करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सम्पुष्ट करने हेतु कार्यवाही शुरु कर दी है। लगभग 1700 ब्लाकों को राज्य सरकारों के परामर्श से चुना गया है। ये ब्लाक विभिन्न क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों में शामिल किए गए हैं। इस दिशा में एक कदम के रूप में राज्यों को सलाह दी गई है कि वे उचित दर की ज्यादा दूकानें खोलें, अतिरिक्त भंडारण क्षमता बनाएं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की उचित दर की दूकानों के दरवाजे तक सुपुर्दगी करने की व्यवस्था करें और जाली यूनिटों कार्डों को समाप्त करे ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अपनी पहुंच में और कारगर बनाया जा सके। सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की राज्य तथा केंद्रीय स्तरों पर नियमित रूप से परिवीक्षा की जाती है।

केंद्रीय सरकार के 1992-93 के बजट अनुमानों में खाद्यान्नों के वितरण